Govt.of MadhyaPradesh

मध्य प्रदेश शासन

Office of the Field Director

Panna Tiger Reserve

Panna, Madhya Pradesh, (India)

Phone No. +917732-252135 (O) Fax, +917732-252120

E-mail: fdptr82@gmail.com Website: www.pannatigerreserve.in

Panna Tiger Reserve

पन्ना टाईगर रिजर्व

क्रमांक / तकनीकी / 2024 / 2050 / पन्ना, दिनांक– 30/10/2024

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय :– पन्ना जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.–43 गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी मार्ग के विस्तार/चौड़ीकरण हेतु 31.82 हेक्टेयर वन भूमि (ऑनलाईन आवेदित 31.90 हे0) लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने बावत्। (FP/MP/ROAD/121709/2021)

संदर्भ :– 1.आपका पत्र क्र./एफ–5/1215/2023/10–11/3261 दि. 20.06.2024
2.कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर का पत्र क्रमांक/1352/व.ले.लि./2024–25 दिनांक 19.06.2024

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार के पत्र क्र./6-MPR011/2023-BHO/1/74374 दिनांक 18.06.2024 के संदर्भ में संदर्भित पत्र क्रमांक 01 के माध्यम से आवेदक संस्थान को भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 03 बिन्दुओं पर जानकारी ऑनलाईन एवं ऑफलाईन इस कार्यालय के माध्यम से प्रेषित किये जाने बावत् लेख किया गया था।

भारत सरकार से जारी निर्देशों के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 02 के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत की गई जानकारी में आवेदक संस्थान द्वारा योजना में प्रभावित भूमि के बदले समतुल्य गैर वनभूमि ग्राम किशनगढ़ अंतर्गत रकवा 44.492 हेक्टेयर कलेक्टर जिला छतरपुर के रा0प्र0क्र0/0042/अ–20(1)/2024–25 दिनांक 28.08.2024 द्वारा पन्ना टाइगर रिजर्व के नाम आवंटित कराई गई। आवंटित गैर वनभूमि में 11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना तैयार कर तकनीकी स्वीकृति उपरांत आवेदक संस्थान से प्राप्त जानकारी सहित प्राप्त निर्देशानुसार ऑनलाईन EDS के माध्यम से एवं हार्डकॉपी में तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(अंजना सुचिता तिर्की)
क्षेत्र संचालक,
पन्ना टाइगर रिजर्व,पन्ना

पृ0क्र0/तकनीकी/2024/2051 पन्ना, दिनांक 30/10/2024

प्रतिलिपिः– कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्र संचालक,
पन्ना टाइगर रिजर्व,पन्ना

Scanned with CamScanner

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर म.प्र.
दूरभाष 07582–222206 E mail eepwdnhsagar768@gmail.com

ज्ञाप क0/ 1352/व.ले.लि. /2024–25 सागर दिनांक 19.06.2024

प्रति,

क्षेत्र संचालक
पन्ना टाईगर रिजर्व पन्ना

विषयः– पन्ना जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं.–43 गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी मार्ग के विस्तार/चौड़ीकरण हेतु 31.82 हेक्टेयर वन भूमि (ऑनलाईन आवेदित 31.90 हे0) लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने बावत्। **(FP/MP/ROAD/121709/2021)**

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रं. एम.पी.आर. 011/2023–बीएचओ/74374 दिनांक 18.06.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि **गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी राष्ट्रीय राजमार्ग 43 (विस्तार) के खण्ड क्रमांक–5 कि0मी0 43+00 से 77+00 बराना नदी से केन नदी (अमानगंज) तक मार्ग** का उन्नयन एवं चौड़ीकरण किया जाना है। उक्त कार्य हेतु एजेंसी नियुक्त हो गई है, एवं अनुबंध भी संपादित हो गया है।

उक्त चौडीकरण कार्य हेतु पन्ना टाईगर रिजर्व के बफर जोन की वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु प्रकरण क्रं. FP/MP/ROAD/121709/2021 प्रचलन मे है। जिसके अनुसार केम्पा मद् मे राशि जमा करने उपरांत वन भूमि उपयोग पर दी जानी थी।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के संदर्भित पत्र द्वारा निम्नानुसार लेख कर वन भूमि के बदले राजस्व भूमि उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया है। जिस हेतु कार्यवाही प्रचलन मे है, जो कि शीघ्र पूर्ण करा ली जावेगी।

1. Since the area proposed for diversion is revised to 44.05 ha. after addition of the area of existing carriage way, the revised KML for the area proposed for diversion i.e. 44.05 ha. is hereby submitted for uploading in online portal accordingly.
2. In view of guideline dated 27.12.2023 compensatory afforestation on equivalent non-forest land shall be submitted to the Regional Office, Bhopal along with the compensatory afforestation scheme, suitability certificate, and certificate of non-encumbrances, digital map and the KML of the area within a short period as this proses will take time. Hence it is requested that Stage-I permission may please be accorded in anticipation of clearance of proposal.
3. Clearance from SCNBWL is awaited from the board.

चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग के विषयांकित उक्त खण्ड हेतु अनुबंध प्रक्रिया भी पूर्ण की जा चुकी है अतः अनुरोध है कि उक्तानुसार वन भूमि/वनक्षेत्र मे कार्य करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि निर्माण कार्य समय सीमा मे पूर्ण किया जा सके।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार

(पंकज व्यास)
कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि.रा.रा.संभाग सागर

पृ0 क0/1353/व.ले.लि. /2024–25 सागर दिनांक 19.06.2024

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य संरक्षक (भू–प्रबंध) वन भवन भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग रा.रा. परिक्षेत्र निर्माण भवन द्वितीय तल अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता क्षेत्रीय अधिकारी MORT&H निर्माण भवन द्वितीय तल अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग रा.रा. उपसंभाग छतरपुर की भेजकर लेख है कि आप व्यक्तिगत रूप से पन्ना टाईगर रिजर्व कार्यालय मे उपस्थित होकर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

सहपत्रः– शून्य

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि.रा.रा.संभाग सागर

Scanned with CamScanner

न्यायालय कलेक्टर (नजूल), जिला–छतरपुर (म0प्र0).

रा0प्र0क्र0 0042/अ–20(1)/2024–2025

कार्यपालन यंत्री,
लो.नि.वि.रा.रा. संभाग सागर, (म0प्र0)..आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन...अनावेदक

आदेश

(पारित दिनांक 28.8.24)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.रा.रा.संभाग सागर, (म0प्र0) के पत्र क्रमांक 1388/व.ले.लि./2024–25 सागर दिनांक 24/06/2024 से गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी राष्ट्रीय राजमार्ग 43 (विस्तार) के खण्ड क्रमांक–5 कि0मी0 43+00 से 77+00 बराना नदी से केन नदी (अमानगंज) तक मार्ग का उन्नयन एवं चौड़ीकरण किये जाने में वन भूमि कुल रकवा 44.500हे0 प्रभावित होने से ग्राम–किशनगढ़ तहसील बिजावर स्थित भूमि खसरा नं0 69 रकवा 6.248हे0, ख0नं0 101 रकवा 11.384हे0, ख0नं0 70 रकवा 8.571हे0, ख0नं0 72 रकवा 12.885हे0, ख0नं0 80 रकवा 9.105हे0, ख0नं0 95 रकवा 6.046हे0, ख0नं0 94 रकवा 9.894हे0 कुल किता–7 कुल रकवा 64.133 हे0 मेंसे 44.500हे0 समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश दिनांक 24/09/2020 के अनुसार निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्ररूप–एक पर आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर, पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना को हस्तांतरित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

तहसीलदार तहसील बिजावर द्वारा प्रकरण क्रमांक 0101/बी–121/2024–25 प्रतिवेदन दिनांक 31/07/2024 में प्रतिवेदित किया है कि प्राप्त प्रस्ताव पर इश्तहार का प्रकाशन कराया गया जिस पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। उपसंचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना ने क्रमांक/तकनीकी/2024/1379 पन्ना दिनांक 24/07/2024 एवं ग्राम पंचायत किशनगढ़ की सहमति संलग्न है। गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी राष्ट्रीय राजमार्ग 43 (विस्तार) के उन्नयन एवं चौड़ीकरण में वनभूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि ग्राम–किशनगढ़ स्थित भूमि खसरा नं0 69 रकवा 6.248हे0 मेंसे 4.248हे0 मद वन म0प्र0 शासन, ख0नं0 70 रकवा 8.571हे0 मद वन म0प्र0 शासन, ख0नं072 रकवा 4.551हे0 मद वन म0प्र0 शासन, ख0नं0 80 रकवा 9.150हे0 मद पहाड़ म0प्र0 शासन, ख0नं0 94 रकवा 6.633हे0 मद पहाड़ म0प्र0 शासन चारागाह, खसर नं0 101 रकवा 11.384हे0 मद पहाड़ म0प्र0 शासन कुल किता 06 कुल रकवा 44.537हे0 वन विभाग की सीमा से लगी हुई है। खसरा नं0 69, 70, 72 अभिलेख में मद वन के रूप में दर्ज है जो राजस्व भूमि है। ग्राम–किशनगढ़ का भौगोलिक रकवा 1177.103हे0 कुल निजी खाते का रकवा 211.813हे0 ग्राम में चरनोई का कुल रकवा 52.410हे0 है। 02 प्रतिशत चरनोई का रकवा 23.542हे0 है। खसरा नं0 94 रकवा 6.633हे0 मद परिवर्तन कर आवंटित की जा सकती है। उपसंचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना ने क्रमांक/तकनीकी/2024/1379 पन्ना दिनांक 24/07/2024 एवं ग्राम पंचायत किशनगढ़ की सहमति संलग्न कर ग्राम–किशनगढ़ स्थित भूमि खसरा नं0 69 रकवा 6.248हे0 मेंसे 4.248हे0

Scanned with CamScanner

मद वन म0प्र0 शासन, ख0नं0 70 रकबा 8.571हे0 मद वन म0प्र0 शासन, ख0नं072 रकबा 4.551हे0 मद वन म0प्र0 शासन, ख0नं0 80 रकबा 9.150हे0 मद पहाड़ म0प्र0 शासन, ख0नं0 94 रकबा 6.633हे0 मद पहाड़ म0प्र0 शासन चारागाह, खसर नं0 101 रकबा 11.384हे0 मद पहाड़ म0प्र0 शासन कुल किता 06 कुल रकबा 44.537हे0 भूमि (वन विभाग) पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना को म0प्र0 नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश,2020 दिनांक 24/09/2020 के तहत आवंटन किये जाने हेतु प्रकरण अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी(रा0) बिजावर को प्रेषित किया।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0) बिजावर द्वारा प्र0क्र0 1385/बी–121/2024–25 प्रतिवेदन दिनांक 31/07/2024 में तहसीलदार तहसील बिजावर के प्रतिवेदन से सहमत होकर ग्राम–किशनगढ़ स्थित भूमि खसरा नं0 69 रकबा 6.248हे0 मेंसे 4.248हे0 मद वन म0प्र0 शासन, ख0नं0 70 रकबा 8.571हे0 मद वन म0प्र0 शासन, ख0नं072 रकबा 4.551हे0 मद वन म0प्र0 शासन, ख0नं0 80 रकबा 9.150हे0 मद पहाड़ म0प्र0 शासन, ख0नं0 94 रकबा 6.633हे0 मद पहाड़ म0प्र0 शासन चारागाह, खसर नं0 101 रकबा 11.384हे0 मद पहाड़ म0प्र0 शासन कुल किता 06 कुल रकबा 44.537हे0 भूमि पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना को भूमि आवंटन किये जाने हेतु प्रकरण अनुशंसा सहित प्राप्त।

जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 12/08/2024 को आयोजित की गई जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा पन्ना टाईगर रिजर्व पन्ना की गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी राष्ट्रीय राजमार्ग 43 (विस्तार) के खण्ड क्रमांक–5 कि0मी0 43+00 से 77+00 बराना नदी से केन नदी (अमानगंज) तक मार्ग का उन्नयन एवं चौड़ीकरण किये जाने में वन भूमि कुल रकबा 44.500हे0 प्रभावित होने से उसके बदले ग्राम–किशनगढ़ स्थित ख0नं0 69 रकबा 6.248हे0 मेंसे 4.248हे0 मद वन म0प्र0 शासन, ख0नं0 70 रकबा 8.571हे0 मद वन म0प्र0 शासन, ख0नं072 रकबा 12.885हे0 मेंसे रकबा 4.551हे0 मद वन म0प्र0 शासन, ख0नं0 80 रकबा 9.105हे0 मद पहाड़ म0प्र0 शासन, ख0नं0 94 रकबा 9.894हे0 मेंसे रकबा 6.633हे0 मद पहाड़ म0प्र0 शासन चारागाह, खसरा नं0 101 रकबा 11.384हे0 मद पहाड़ म0प्र0 शासन एवं चारागाह की मद परिवर्तन कर कुल किता 06 कुल रकबा 44.492हे0 हस्तांतरित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

नजूल अधिकारी जिला छतरपुर के प्रतिवेदन दिनांक 28/08/2024, अनुविभागीय अधिकारी(रा0) बिजावर के प्रतिवेदन दिनांक 31/07/2024 एवं तहसीलदार तहसील बिजावर के प्रतिवेदन दिनांक 31/07/2024 तथा जिला नजूल निर्वर्तन समिति के निर्णय दिनांक 12/08/2024 के आधार पर गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के विस्तार एवं पुर्ननिर्माण में प्रभावित रकबा 44.500हे0 के एवज में ग्राम–किशनगढ़ स्थित खसरा नं0 94 रकबा 9.894हे0 मेंसे रकबा 6.633हे0 मद पहाड़ चारागाह दर्ज होने से मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा–237(3) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग एवं मद चारागाह से परिवर्तित करते हुये म0प्र0 नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश,2020 दिनांक 24 सितम्बर,2020 की कण्डिका 16 एवं 17 के तहत् ग्राम–किशनगढ़, रा0नि0मं0 देवरा तहसील बिजावर स्थित भूमि खसरा 69 रकबा 6.248हे0 मेंसे 4.248हे0 मद वन म0प्र0 शासन, ख0नं0 70

Pany

रकवा 8.571हे0 मद वन म0प्र0 शासन, ख0नं072 रकवा 12.885हे0 मेंसे रकवा 4.551हे0 मद वन म0प्र0 शासन, ख0नं0 80 रकवा 9.105हे0 मद पहाड़ म0प्र0 शासन, ख0नं0 94 रकवा 9.894हे0 मेंसे रकवा 6.633हे0 मद पहाड़ म0प्र0 शासन चारागाह, खसरा नं0 101 रकवा 11.384हे0 मद पहाड़ म0प्र0 शासन कुल किता 06 कुल रकवा 44.492हे0 भूमि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपरोक्त शासकीय भूमि पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना को निम्नांकित शर्तो के आधार पर हस्तांतरित की जाती है।

शर्तेः—

1— विषयांकित प्रयोजन से भूमि का उपयोग भिन्न प्रयोजन में नहीं किया जायेगा।

2— प्रश्नाधीन भूमि पर स्थित वृक्षों की कटाई की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से ली जाना आवश्यक होगी।

3— किसी भी प्रकार के निर्माण के पूर्व आवंटित को स्थानीय निकायों/विभागों से अनापत्ति प्रमाण—पत्र लेना आवश्यक होगा।

4— पर्यावरण प्रदूषण का पर्याप्त ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा।

5— कलेक्टर या उसके प्रतिनिधि को भूमि के उपयोग के संबंध में प्रवेश करने एवं निरीक्षण करने का अधिकारी होगा।

6— प्रस्तावित भूमि यदि मौके पर वन भूमि पाई जाती है तो आवेदक सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बगैर भूमि का उपयोग विषयांकित प्रयोजन हेतु नहीं करेगां।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने पर आदेश स्वमेव शून्यवत हो जायेगा।

तहसीलदार तहसील बिजावर को आदेशित किया जाता है कि आदेशानुसार भूमि का मौके पर सीमांकन कर, कब्जा सौपते हुये हस्तांतरित भूमि नक्शे में चिन्हित कर राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करते हुये पालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

(पार्थ जैसवाल)
कलेक्टर,
जिला छतरपुर(म0प्र0).

पृ.प्र.क्र0 0042/अ—20(1)/नजूल/2024—25 छतरपुर, दिनांक 28/08/2024

प्रतिलिपिः—

1— प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग,"मंत्रालय" वल्लभ भवन, भोपाल।
2— कमिश्नर, सागर संभाग, सागर।
3— क्षेत्र संचालक, पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना।
4— उपसंचालक, पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना।
5— अनुविभागीय अधिकारी(रा0) बिजावर, जिला छतरपुर,म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
6— कार्यपालन यंत्री, लो0नि0वि0रा0रा0 संभाग सागर(म0प्र0)।
7— तहसीलदार तहसील बिजावर को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर,
जिला छतरपुर(म0प्र0).

क्षेत्र संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व
1871
2/9/24